राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1330–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.2.2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर, प्रकरण क्रमांक 110/2008–09/निगरानी.

दिता पिता श्री भुरजी मुणिया,
निवासी ग्राम कचनारिया, तहसील पेटलावद,
जिला झाबुआ, म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

बद्दा पिता गलिया मुणिया भील,
निवासी ग्राम कचनारिया, तहसील पेटलावाद,
जिला झाबुआ, म0प्र0 .....आवेदक

श्री सतीश शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0के0 गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::
(पारित दिनांक 22 जुलाई, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.2.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक बद्दा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि नामांतरण पंजी क्रमांक 42 आदेश दिनांक 18.6.96 द्वारा ग्राम कचनारिया स्थित अनावेदक की भूमि खाता क्रमांक 43 कुल सर्वे नम्बर 5 रकबा 3.59 पर उसकी बिना सहमति के आवेदक का नाम फर्जी ठहराव प्रस्ताव द्वारा शामिल कर दिनांक 3.7.1997 को आदेश पारित करा लिया गया है । अतः उक्त

आदेश निरस्त किये जाकर प्रश्नाधीन भूमियों पर अनावेदक का नाम पूर्ववत दर्ज किया जाये। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 18/अपील/2007–2008 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा संहिता की धारा 44/47 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 18.6.96 तथा ठहराव प्रस्ताव दिनांक 3.7.97 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 21.5.2008 को लगभग 10–12 वर्षो से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जो अवधि बाह्य होकर कानूनन चल नहीं सकती है, और जिन आदेशों को अनावेदक द्वारा चुनौती दी जा रही है, उनमें वह स्वयं उपस्थित था । अतः अनावेदक को प्रथम अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होने एवं अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30.1.2009 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 31.3.2009 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21.2.2012 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि की जाकर, निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 18.6.96 को सहमति से नामांतरण आदेश पारित हुआ था, उसके 12 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य थी, जिसे समय सीमा में मान्य करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर को अवधि विधान की धारा 5 पर ही आदेश पारित करना था, क्योंकि उनके समक्ष यही बिन्दु विचारणीय था, परंतु उनके द्वारा गुणदोष पर आदेश पारित करने में अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना ध्यान दिये अपर आयुक्त द्वारा भी आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है, इसलिए तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये किये जायें । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है, इसलिए राजस्व न्यायालयों को माननीय

उच्च न्यायालय के निर्णय तक कार्यवाही स्थगित कर देना चाहिए । तर्क के समर्थन में 1984 आर.एन. 407 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक के पक्ष में फर्जी नामांतरण किया गया है, क्योंकि उक्त नामांतरण में न तो अनावेदक की सहमति थी, और न ही उसके हस्ताक्षर हैं, इसलिये पूर्णतः अवैधानिक आदेश पर समय सीमा लागू नहीं होती है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि का आवेदक भूमिस्वामी नहीं है, इसके बावजूद बटवारा कर उसे भूमि दी गई है, जो कि अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि बिना सहमति के भूमिस्वामी की भूमि से उसके स्वत्व समाप्त नहीं किये जा सकते हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि ग्राम पंचायत का आदेश क्षेत्राधिकार रहित होने से उसके सम्बन्ध में समय सीमा लागू नहीं होगी । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया है, और उसकी अपील भी निरस्त हो गई है, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील लम्बित रहने मात्र से कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में संलग्न खसरा पंचसाला को देखने से स्पष्ट है कि उसमें नामांतरण पंजी की पृविष्टि क्रमांक 42 पर दिनांक 18.6.97 को आवेदक का नामांतरण प्रश्नाधीन भूमि पर स्वीकृत किये जाने का उल्लेख है, जबकि किश्तबन्दी खतौनी में जो बटवारा स्वीकृत किया गया है, उसमें 18.6.96 को आवेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर शामिल किये जाने का उल्लेख है । अतः ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामांतरण आदेश इसी आधार पर संदिग्ध हो जाता है । इसके अतिरिक्त नामांतरण पंजी पर बटवारा आदेश संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बने नामांतरण नियमों के अनुरूप पारित नहीं किया जा सकता है । आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालयों सहित इस न्यायालय में तर्क के दौरान यह नहीं बतलाया जा सका है कि अनावेदक की प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक को किस प्रकार स्वत्व प्राप्त हुए हैं, और उसके पक्ष में किया गया नामांतरण विधि अनुकूल है ।

केवल समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर नामांतरण एवं बटवारा आदेश की पुष्टि करवाना चाहता है, जो कि विधि अनुसार उचित कार्यवाही नहीं है । यहां यह विचारणीय प्रश्न है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी अपील का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, औ वह अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उसके पक्ष पारित नामांतरण एवं बटवारा आदेश की वैधानिकता को प्रमाणित कर सकता है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य योग्य नहीं है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 12 वर्ष अवधि बाह्य अपील को समय–सीमा में मान्य करने में अवैधानिकता की गई है, क्योंकि समय–सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर पूर्णतः अवैधानिक आदेश की पुष्टि करना उचित कार्यवाही नहीं है । उनका यह तर्क भी अमान्य किए जाने योग्य है कि अपर कलेक्टर द्वारा अवधि विधान की धारा 5 पर आदेश पारित करना था, परन्तु गुणदोष पर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । कारण अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं । उनका यह तर्क भी उचित नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील लंबित होने से राजस्व न्यायालयों को कार्यवाही स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन जारी नहीं किया गया है, केवल अपील लम्बित रहने मात्र से कार्यवाही स्थगित करना विधिसंगत नहीं है । दर्शित परिस्थितियों अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–2–2012 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर